The 819<sup>th</sup> meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 12<sup>th</sup> August, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

- 1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
- 2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
- 3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
- 4. Dr. Sunita Singh, Member.
- 5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. Case No. P2/1731/25, Pramila Kumari W/O: Shri Permeswar Bhagat R/o: Vill-Dhoti, Post Vindhya Nagar, Teh&District- Singrauli State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Dhodhitola Stone Quarry in an area of 1.230 ha. [Stone-14,633 m³/year], (Khasra No. 179(S), 183(S) and 185(S) (Govt. Land), Village- Dhodhitola, Tehsil- Mada, District- Singrauli (M.P.). [540343] (Fresh - B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित हैए जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Shishupal Verma Super Tech, Environmental Services, Bhopal(M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Smt. Pramila Kumari W/o Shri Parmeshwar Bhagat, Village- Dhoti, Post-Vindhyanagar, Tehsil & District-Singrauli, (M.P.) – 486886. Prior Environment	
परियोजना / कम्पनी	Clearance for Dhodhitola Stone Quarry with a production capacity of 14,633 m³/year	
/संस्थान का नाम व	having a lease area of 1.230 hectare, at Khasra No 179, 183 & 185 (Govt. land) Village - Dhoditola, Tehsil-Mada, District- Singrauli (M.P.). SIA/MP/MIN/ 540343/2025.	
पता		
परियोजना का खसरा	खसरा नं 179, 183, एरिया — 1.230 ha., (Govt. land),	
नं./लीज क्षेत्रफल	185	
परियोजना स्थल	Village - Dhoditola, Tehsil-Mada, District- Singrauli (M.P.).	

Description of Project	It is a Stone Quarry with a production capacity of 14,633 m3/year having a lease area of 1.230 hectare, at Khasra No. 179, 183 & 185 (Govt. land) Village - Dhoditola, Tehsil-Mada, District- Singrauli (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्र०	
	677 दिनांक 28/02/2025.	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
खनन् कार्य	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting.	
ब्लास्टिंग/राॅक		
ब्रेकर		
Crusher Status	Outside the lease area	
CTE/SPCB Comments Status.	PCB ID 169714. Consent No. CTE 130315,	
उत्पादन क्षमता	Stone – 14,633 Cubic meters per year.	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल	
मीटर की परिधि में	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1132 दिनांक 11/04/2025 अनुसार 500 मीटर	
संचालित /स्वीकृत	की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत है जिनका कुल रकबा	
अन्य खदानों का	4.93 हे. होता हैए अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
विवरण।		
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल	
में डीएफओ की	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1132 दिनांक 11/04/2025 अनुसार 10	
एनओसी	किलोमीटर की परिधि में नेषनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव	
	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
	आवेदित स्थल से 9.40 कि.मी. की दूरी पर गुरू घासीदास	
	नेशनल कं स्थित है।	
	आवेदित स्थल वन सीमा से -618.80 मी.की दूरी है।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल	
राजस्व जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1132 दिनांक 11/04/2025 अनुसार 500 मीटर	
	की परिधि में मानव बसाहटए षैक्षणिक संस्थानए नाला इत्यादि	
	संबंधी जानकारी निम्नानुसार है।	
	आबादी-100 मी.की दूरी पर स्थित है।	
	नाला-50 मी.की दूरी पर स्थित है।	

ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत - ढ़ोढ़ीटोलाए जिला - सिंगरौली का ठहराव	
पंचायत/ नगर	प्रस्ताव क्र0 07 दिनांक 24/01/2025 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी	
परिषद्	किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 40	
वृक्षों की वर्तमान	पेड़ जो पलास एवं नीम प्रजाति के हैं, जिनमें से 22 पेड़ काटे जाने	
स्थिति	प्रस्तावित हैं जिसके एवज में 220 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगें।	
प्रस्तावित खदान की	उत्तर दिशा	
गूगल इमेज अनुसार	.उत्खिनिपट्टे से उत्तर दिशा में 70 मीटर की दूरी पर एक नाला स्थित है।	
स्थिति (यदि सेटबैक	उत्खिनिपट्टे से मानव बसाहट उत्तर पश्चीम दिशा में 390 मीटर की दूरी	
आवष्यक हो)	पर स्थित है।	
जापञ्चप हा	पूर्व दिशा	
	-उत्खिनपट्टे से पूर्व दिशा में 290 मीटर पर एक चेक डैम स्थित है।	
	उत्खिनिपट्टे से मानव बसाहट पूर्व दिशा में 385 मीटर की दूरी पर स्थित	
	1 号	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र	
की स्थिति	क्रमांक 1354 दिनांक 07/05/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि इस	
	खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण	
	रिपोर्ट मे सम्मिलित कर लिया जावेगा।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खिनपट्टे के पिश्वम दिशा में 70 मीटर पर जल जमाव परिलक्षत हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 38 दिनांक 11.08.2025 को जारी पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उक्त जल जमाव बारिश का पानी एकत्रित होने के कारण परिलिक्षित होता है जो कि नजदीकी स्थित खदान के पट्टेधारी द्वारा खदान पर उपयोग होने वाले पानी कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है।

समिति द्वारा पाया गया कि उत्खिनपट्टे के 200 मीटर की परिधि में कुछ कच्चे मकान परिलिक्षित हो रहे है जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 38 दिनांक 11.08.2025 को जारी पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि परिलिक्षित हो रहे है मकान चारा भूसा खेती आदि का सामान रखने हेतु बनाये गए है एवं गैर रिहायशी है।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उत्खिनपट्टे से मानव बसाहट की न्यूनतम दूरी 385 मीटर पूर्व दिशा में एवं 393 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन -14633 घनमीटर/वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.42 लाख एवं रिक्रिरिंग राशि रू. 2.45 लाख प्रति वर्ष।
- 3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर/एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है
- 5. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
Solar panel of the 2 kw capacity will be installed at the village govt primary school Gahidar along with this, whitewash & repairing of the building with & Educational wall painting.	1,30,000/-
योग	1,30,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण । 2. <u>Case No P2/1726/2025 Smt. Sunita Sharma, Lease Owner, w/o Suryaprakash, 88, Subhash Marg, Khachrod, Khachrod, Ujjain, Madhya Pradesh 456224. Prior Environment Clearance for Ravad STONE & M-SAND MINE in an area of 2.00 ha. (Stone- 4845 cum/year and M-sand- 4845 cum/year) (Khasra No. 602/3), Village- Kumharwadi, Tehsil- Khachrod, District-Ujjain, (M.P.)[521979] (DEIAA-B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक Mr. Rishi Sharma Son, on-line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Meena Chaurasia FAE, मेसर्स ASERIES ENVIROTEK INDIA PRIVATE LIMITED, लखनउ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Sunita Sharma, W/o Shri Suryaprakash Sharma, R/o- 90, Subash Marg, Khachrod, Dist Ujjain M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	602/3 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 hectare.	
म्थल	ग्राम कुम्हावाडी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 574 दिनांक 05/3/2018 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण (पर्यावरण स्वीकृति दिया द्वारा दिनक १९.०५.२०१३ को जारी की गई थी )	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) Outward No. 17235 dated: 10/9/2021 की वैधता दिनांक 30/11/2023 तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4845 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 4845 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-4845 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 4845 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 101010	

अन्य खदानें	विज्ञांक ३१/१०/३०३३ अनुमार ६०० मीतर की मिशि में अन्य खराउँ	
সন্প প্রবাগ	दिनांक 31/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	
	संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 101010	
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	दिनांक 31/10/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	
विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 101010	
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	दिनांक 31/10/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र	
की स्थिति	नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 101010	
	दिनांक 31/10/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय	
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा,	
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत कुम्हारवाडी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक	
की अनापति	26/1/2028 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपत्ति	
	नहीं है का प्रस्ताव पारित।	
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की	लीज क्षेत्र में पेड़ हैं	
वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावित स्थल की गूगल	उत्तर पूर्व दिशा- पक्का रोड 10 मी. की दूरी पर है अतः 90 मी. का गैर खनन क्षेत्र	
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति प्रस्तावित किया है।		
· •	दक्षिण दिशा- तालाब—60 मी. की दूरी पर है अतः 40 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।	
प्रस्तावित खदान की जिला	। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं23 के सरल क्रमांक-	
	02 पर दर्ज है ।	
0 / 1/		

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 60 पेड़ हैं जो स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाये गये हैं जिनका काटा जाना प्रस्तावित नहीं है तथा उत्तर पूर्व दिशा में एक पक्का रोड 10 मी. की दूरी पर है अतः 90 मी. एवं दक्षिण दिशा में एक तालाब 60 मी. की दूरी पर है अतः 40 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है। अतः खनन हेतु 0.9 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	टोटल लीज एरिया पेरिफेरि ६१४मी. में से ४०
लाज के चारा और फान्सग का वतमान स्थित	% (235m) फेन्सिगं का कार्य हुआ है। 65 % (379m) अभी बाकी है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार 90 पौधे लागाये जाने थे अतः 50 पौधे लीज क्षेत्र के 7.5 मी. बेरियर जोन एवं केशर के पास में लागाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। टोटल गारलेण्ड ड्रेन पेरिफेरि 331मी. में से केवल 150मी. गारलेण्ड ड्रेन बना हुआ है। 181मी बकी है। एवं एक सेटलिंग टेंक बना है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	बैंचेस अवलोकित नही है।
रेस्ट शेल्टर, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की वर्तमान स्थिति	सभी सुविधाओं के साथ रेस्ट शेल्टर का निर्माण करवाया गया है। जिसमें शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। खदान क्षेत्र में प्रथमिक चिकित्सा के लिए फास्ट-एड बोक्स भी उपलब्ध है।
7.5 मी बैरियर जोन की स्थिति	7.5 मी बैरियर जोन केवल एक तरफ से असुरक्षित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया है। कि शासकिय प्रथमिक शाला सिपाहेडा में स्कूल कि मरम्मत का कार्य किया गया है। परन्तु साक्ष उपलब्ध नहीं है।
उत्खनन किया हुआ क्षेत्र	4000m x 10.0m = 40,000cum

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित है। अतः स्टोन एवं एमसेंड को अलग—अलग करते हुये म.प्र.
   प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (क्षमता विस्तार) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- बेरियर जोन खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर

## STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

- वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ़्स सहित प्रस्तुत करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन हेतु फेन्सिंग, वृक्षारोपण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, क्रेशर के लिये वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल करते हुये सहित प्रस्ताव ईएमपी में प्रस्तुत करें।

3. Case No 10360/2023 Shri Tulsiram Gound, Quarry Owner, R/o Village-Hathkhoh, TehsilDeori, District-Sagar (MP)-470226, Prior Environment Clearance for M/s Chevala Stone, MSand & Murrum Quarry in an area of 1.80 ha. (Stone-8957, M-Sand-8957, Murrum-6493 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Chhewala, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP) [540177] (EIA)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Milan Pathak, M/s. Visiontech Environment & Services Pvt. Ltd., Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri TULSIRAM GOUND, QUARRY OWNER, Village Hathkhoh,	
परियोजना /	Tehsil Deori, District - Sagar (M.P.)	
कम्पनी का नाम व		
पता		
्खसरा नं./	01 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.80 hectare.	
क्षेत्रफल		
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village Chevala, Teshil Deori, District Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1425	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	दिनांक 23 / 09 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी—1	
ब्लास्टिंग / रॉक	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है	
ब्रेकर	1	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित है ।	
स्थिति		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर सम्मति आर्डर दिनांक	
की स्थिति	30/04/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक	
	15/04/2030 तक है ।	
टॉर	सेक की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/2023 को टॉर अनुशंसित । सिया के	
	पत्र क्रमांक 1706 दिनांक 12/10/2023 के द्वारा एम—सेंड—8,957	
	घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम— 6,493 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी	
	किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—8,957 घनमीटर / वर्ष, एम—सेंड—8,957	
	घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम— 6,493 घनमीटर / वर्ष, हेतु आवेदन किया	

	1 1 10
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–8,957
	घनमीटर / वर्ष, एम—सेंड—8,957 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम—6,493
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र
परिधि में अन्य व	क्रमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04
खदानें उ	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.60 हे.
	होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र
की अनापितत व	कमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं
2	250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति व	कमांक 579 दिनांक 24/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि के
1	अंदर कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।
	ग्राम पंचायत चीमाढाना जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक
· ·	14 / 04 / 21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव
_	पारित। `
	Tree Felling – 01 (Mango)
स्थिति	
	उत्तर दिशा— पोल्ट्रीफार्म—280 मी.
वर्तमान स्थिति	
τ	पूर्व दिशा— फार्म हाउस—400 मी. एवं पक्का रोड—508 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 612
	दिनांक 01/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में जो जिला
1	सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त खदान सम्मिलित कर
	ली जावेगी ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	सामारा न वया उपरारा निर्धाय ।लया कि राज्य स्राराय स्राराय प्यापरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक ।
	२९ / ०७ / २२    (प्रकरण  में   १२६१ / २०२२   –   जारी  पत्र  क्रमांक  1306
	29 / 07 / 22 (प्रकरण न 9261 / 2022 — जारा पत्र क्रमाक 1306   दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय
4	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
,	
जन सुनवाई प्र	प्रस्तावित खदान की सुनवाई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

• ईआईए रिपोर्ट के पेज नम्बर 30 टॉर क्रमांक 3, 8, 15, 16, 21, 25 एवं 26 पेज नम्बर 36 III टॉर क्रमांक 40, टॉर क्रमांक 6 पेज नम्बर 41 बेसलाईन डेटा, ड्रोन वीडियोंग्राफी

## STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

कम्पलाईन्से पेज नम्बर 42 conflict of interest पेज नम्बर 43 एवं 45 में उल्लेख है कि जन सुनवाई की जाना है, स्पष्ट करें? पेज नम्बर 58 टॉर क्रमांक 18 पेज नम्बर 61 टॉर क्रमांक 23 पेज नम्बर 65 टॉर क्रमांक 36 39 का विवरण प्रस्तुत करें।

- ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 7 पेज जन सुनवाई दिनांक 09/05/2024 में उठाये गये बिन्दुओं को ईएमपी में शामिल करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज 119 टेवल 0—14 में भू—जल एवं सतही जल स्त्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें पेज 129 में सतही जल का निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
- ईएमपी में सीपीसीबी के निर्देशानुसार मॉनिटरिंग कास्ट, शेल्टर रूम में सोलर पेनल आदि का प्रस्ताव। समिति द्वारा सुझाये अनुसार सीईआर योजना ।

4. Case No. P2/1732/25, Shri Chandrkishor Bhawsar M/s Tirupati Balaji Enterprises, Authorized Partner-Shri Chandra Kishore R/O: Vill- Melchuka, Teh-Khaknar, District- Burhanpur, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Melchuka Stone(Gitti) Quarry in an area of 1.70 ha. [Stone-20,000 m³/year], (Khasra No. 81/2 & 81/4(Pvt. Land)), Village- Melchuka, Tehsil-Khaknar, District- Burhanpur (M.P.). [540600].(Fresh-B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Chandrkishor Bhawsar, Authorized Partner Tirupati Balaji Enterprises, R/o- Village-Tukaithad, Tehsil- Khaknar, District-Burhanpur, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	81/2 and 81/4 (निजी भूमि)	1.70 hectare.
स्थल	ग्राम मेलचुका, तहसील – खकनार, जिला बुरहानपुर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1147 दिनांक 26/11/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	ते आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	की क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीओ) Outward No:29143 दिनांक 02/06/2025	
	की वैधता Consent to Establish for sett Mine activities at Khasra No. 81/2 Tehsil-Khaknar & Distt-Burhanpu।	= = =
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20000	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है	और अनुमोदित खनन् योजना
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-	20000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	3. 3.	
अन्य खदानें	दिनांक 10/12/2024 के अनुसार 500 मी	
	संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी-	2 श्रेणी का है।

	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1211	
एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव	_	
विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1211	
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	दिनांक 10/12/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र	
की स्थिति	नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1211	
	दिनांक 10/12/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय	
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा,	
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत झिरमिटी जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक	
की अनापति	20/8/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपति नहीं	
	है का प्रस्ताव पारित।	
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की	Tree existing within lease area – No.	
वर्तमान स्थिति		
प्रस्तावित स्थल की गूगल	दक्षिण दिशा :	
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर एक नाला	
	गुजर रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया	
	गया की अनुमोदित खनन योजना अनुसार उक्त नाले से 50 मीटर	
	तक कोई भी खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।	
	(वर वर्गप्र वर्गा वर्गप्र वर्गत्र विश्वा वर्गप्र वर्गप्र	
	उत्खिनपट्टे से दक्षिण पश्चीम दिशा में 310 मीटर की दूरी पर रेलवे	
	लाइन गुजर रही है ।	
प्रस्तावि खदान की जिला	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 1211	
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	दिनांक 10/12/2024 उक्त खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला	
	सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा	
1		

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खिनिपट्टे के उत्तर दिशा में 5 मीटर पर एक रास्ता परिलक्षित हो रहा था जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा सहायक खिनज अधिकारी जिला बुरहानपुर का पत्र दिनांक 28-10-2024 प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेखित है कि उक्त रास्ता कोई ग्रामीण कच्चा रास्ता नहीं है एवं यह बताया कि उत्खिनपट्टे की उक्त जमीन कई वर्षों से पड़ती पड़ी थी जिसपर मवेशियों के आवागमन के कारण एक पगडण्डी निर्मित हो गयी है जो कि कोई ग्रामीण कच्चा रास्ता नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) -20,000 घनमीटर/वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राषि रू. 12.99 लाख एवं रिक्ररिंग राषि रू. 3.09 लाख प्रति वर्ष।
- 3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
- 5. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
	Solar panel system of 3 kW capacity will be installed at govt. middle school of village Melchuka.	1,20,000/-	
2.	Educational paintings on the wall of the same govt middle school	20,000/-	
	A main gate will be installed along the boundary of the Govt middle school of village Melchuka.	10,000/-	
	योग	1,50,000/-	

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण । 5. Case No P2/1727/2025 PUNAM GOYAL, Owner, Ward no.- 05, Mandir Chouk, Nagar Parishad, Niwali Buzurg, Barwani, Madhya Pradesh – 451770 (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.517 ha. (Stone – 16,005 cum per year) (Khasra No. 220 Govt. Land), Village- Mansur, Tehsil Niwali, District-Barwani (M.P.) (521235) (DEIAA - B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev FAE AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD. East Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व	Smt. PUNAM GOYAL, Owner, Ward no 05, Mandir	
पता	Chouk, Nagar Parishad, Niwali Buzurg, Barwani, Madhya Pradesh – 451770 (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	220 (सरकारी भूमि) 1.517 hectare.	
(सरकारी/निजी)		
स्थल	ग्राम मंसुर, तहसील निवाली, जिला बड़वानी	
	(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के पत्र क्रमांक	
	385 दिनांक 24/5/23 के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण । (पर्यावरण स्वीकृति दिया द्वारा दिनक 31.05.2016	
	को जारी की गई थी)	
	·	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.8 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशर	
	प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी	
	संचालन सम्मति (सीटीओ) Outward No. 25313 Dated 19/1/2023 की	
	वैधता दिनांक 06/01/2026 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-16005	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्	
	योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-16005	
	घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-	
खदानें	पत्र क्रमांक 276 दिनांक 13/02/2025 अनुसार 500 मीटर की	
	परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2	

	श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-
से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	पत्र क्रमांक २७६ दिनांक 13/02/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की
	परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-
दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	पत्र क्रमांक २७६ दिनांक 13/02/2025 अनुसार २५० मीटर की
	परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-
	पत्र क्रमांक २७६ दिनांक १३/०२/२०२५ अनुसार ५०० मीटर की
	परिधि में नदी एवं ग्रामीण मार्ग लगभग 100 मीटर की दूरीदूरी पर
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत मंसुर जिला बडवानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-05
अनापत्ति	दिनांक 15/8/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु
	कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान	Tree Existing- 03
स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज	उत्तर दिशा- नदी-92 मी.
अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा-कच्चा रोड- 390 मी.
	पूर्व दिशा- नदी-92 मी. एवं पक्का रोड 364 मी.,दक्षिण पूर्व दिशा-
	छोटा रोड ब्रिज- 296 मी.
	पश्चिम दिशा-पृथक घर- 353 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण-
रिपोर्ट में स्थिति	पत्र क्रमांक 276 दिनांक 13/02/2025 इस खदान का विवरण जिले
	की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं53 के सरल
	क्रमांक-42 पर दर्ज है ।
	पश्चिम दिशा-पृथक घर- 353 मी. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी के एकल प्रमाण- पत्र क्रमांक 276 दिनांक 13/02/2025 इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं53 के सरल

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 03 पेड़ लगे हुये हैं एवं समीप में ही खदान क्षेत्र का साईट आफिस है, प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं गूगल ईमेज में लीज क्षेत्र के अन्दर में क्रेशर दिखाई दे रहा है परन्तु शीघ्र ही क्रेशर का हटाया जाना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र ग्राम मंसूर अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

#### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिग, वृक्षारोपण,
   गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थित आदि संबंधित जियोटेग
   फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- लीज क्षेत्र ग्राम मंसूर अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी
   प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना ।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंृण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

6. Case No P2/1728/2025 Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, M/s Goswami Minerals Prop. Shri Akhilesh Puri Goswami village Pooniya, Tehsil-Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP) Prior Environment Clearance for M/s Goswami Minerals, Laterite Mine in an area of 2.17 ha. (20412 Tons per Annum) (Khasra No. 116, 117) Village-Bhoola, Tehsil- Saleemnabad, District Katni (M.P.).[519803] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev, FAE, M/s. AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	প্রী акніцезн Goswami, Owner, M/s Goswami Minerals Prop. Shri Akhilesh	
का नाम व पता	Puri Goswami village Pooniya, Tehsil- Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	116, 117 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.17 hectare.	
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village-Bhoola, Tehsil- Saleemnabad, District Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1443	
	दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक	आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।	
ब्रेकर		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित	
की स्थिति	नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी Outward No:122875	
सम्मति की स्थिति	दिनांक 04/06/2025 स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक	
	30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20412 Tons per	
	Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार	
	अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20412 Tons per Annum है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
परिधि में अन्य	3054 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान	
खदानें	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.72 होता है, अतः प्रकरण बी-	
	२ श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अभ्यारण/ एसईजेड	3054 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
से दूरी कोर/ जैव	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
250 मीटर की दूरी	3054 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं
पर वन क्षेत्र की	
स्थिति	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापति	3054 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग
	/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत भूला जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-01 दिनांक
पंचायत की	13/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु सहमति का
अनापत्ति	प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर	Tree existing within lease area - Yes
वृक्षों की वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	North Direction- House- 30 mt 70 meter set back is proposed.
गूगल इमेज	South Direction- Pucca Road = 160 mt.
अनुसार वर्तमान	West Direction- Kachha Road – 176 mt.
स्थिति	
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं66 के सरल क्रमांक-13 पर
रिपोर्ट में स्थिति	दर्ज है।
•	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 06 हैं इनमे से पेड़ बैरियर जोन में है और 03 पेड़ लीज के मध्य भाग में कोई भी पेड़ कटा जाना प्रस्तवित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20412 Tons / Annum .
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कृशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।

## STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.61 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.30 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी से ग्राम भूला के शासकीय प्राथमिक शाला में 2 kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा । 7. Case No P2/1729/2025 Shri AKHILESH GOSWAMI, Owner, M/s Goswami Minerals Prop. Shri Akhilesh Puri Goswami village Pooniya, Tehsil-Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP) Prior Environment Clearance for M/s Goswami Minerals, Laterite Mine in an area of 2.55 ha. (8879 Tons per Annum) (Khasra No. 105,106,111) Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).[519813] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, FAE M/s. AGS ENVIRONMENTAL SERVICES PVT. LTD उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता  खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)  स्थल  Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.). लीज स्वीकृति संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  अग्रेवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है । अग्रेवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं। वोर्ड द्वारा जारी सम्यति के स्थित वर्ण प्रतिश्व प्रतिष्ठ विनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैत्
का नाम व पता  प्राां Goswami village Pooniya, Tehsil- Vijayraghavgarh, Dist. Katni (MP)  खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)  स्थल  Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).  लीज स्वीकृति  संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक ओवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर जीवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।  सम्मति की स्थिति  बोई द्वारा जारी  सम्मति की स्थिति  उट्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उट्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उट्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)  स्थल Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).  लीज स्वीकृति संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 1474 के सम्मित की स्थित विश्वित परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
(सरकारी/निजी)  स्थल  Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).  लीज स्वीकृति  संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  व्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार व्लास्टिंग नहीं है ।  क्रिकर  प्रकरण की स्थित  लीज क्षेत्र में क्रेशर जीवदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी सम्मिति की स्थित  04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
(सरकारी/निजी)  स्थल  Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.).  लीज स्वीकृति  संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  व्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार व्लास्टिंग नहीं है ।  क्रिकर  प्रकरण की स्थित  लीज क्षेत्र में क्रेशर जीवदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी सम्मिति की स्थित  04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता  परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हैतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
स्थल Village- Bhoola, Saleemnabad Tehsil- Dhimarkheda District Katni (M.P.). लीज स्वीकृति संचालक, भौमिकी तथा खिनकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत । ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है । बिज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
District Katni (M.P.). लीज स्वीकृति संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  प्रकरण की स्थिति नया प्रकरण ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
लीज स्वीकृति संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  प्रकरण की स्थित नया प्रकरण ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मित (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
दिनांक 02/02/2022 के द्वारा स्वीकृत ।  ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  प्रकरण की स्थिति नया प्रकरण ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक सम्मति की स्थिति 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
ब्लास्टिंग/रॉक आवेदित फार्म अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।  प्रकरण की स्थिति नया प्रकरण ।  लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित नहीं।  बोई द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोई, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 879 Tons per Annum हेतु आवेदन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
प्रकरण की स्थित नया प्रकरण । लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित कि स्थित नहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक सम्मति की स्थित 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
प्रकरण की स्थिति वया प्रकरण । लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित की स्थिति वहीं। बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक सम्मति की स्थित 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेत
लीज क्षेत्र में क्रेशर आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र मं में क्रशर प्रस्तावित कि स्थित वहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
की स्थिति नहीं।  बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
बोर्ड द्वारा जारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा Outward No:122877 दिनांक 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
सम्मति की स्थिति 04/06/2025 जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
30/04/2030 तक है ।  उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per  Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8879 Tons per Annum है।
· ·
500 मीटर की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
परिधि में अन्य 3055 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान
खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.72 होता है, अतः प्रकरण बी-
2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक

अभ्यारण/ एसईजेड	3055 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
से दूरी कोर/ जैव	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
250 मीटर की दूरी	3055 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं
पर वन क्षेत्र की	考
स्थिति	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापत्ति	3055 दिनांक 30/12/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग
	/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत भूला जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-01 दिनांक
पंचायत की	13/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु सहमति का
अनापत्ति	प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर	Tree Existing - Yes
वृक्षों की वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की	उत्तर दिशा-
गूगल इमेज	दक्षिण दिशा- पक्की सड़क 285 मी. एवं रहवासी मकान 165 मी.
अनुसार वर्तमान	पूर्व दिशा-
स्थिति	पश्चिम दिशा- कच्ची सड़क 189 मी.
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
जिला सर्वेक्षण	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं66 के सरल क्रमांक-16 पर
रिपोर्ट में स्थिति	दर्ज है।
<del></del>	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 02 हैं इनमें से कोई भी पेड़ कटा जाना प्रस्तवित नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटेराईट- **8879 Tons** / **Annum.** 

#### 12th August, 2025 STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES **OF** 819th MEETING

- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
   परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.81 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.12 लाख प्रति
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नान्सार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,20,000 की राशी से ग्राम भूला के शासकीय प्राथमिक शाला में पेटिंग के माध्यम से स्लोगन लिखे जावेगें एवं पानी की टंकी व्यवस्था की जायेगी।	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 600 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

**OF** 

# 8. <u>Case No 10973/2023 Shri Sachin Patni, Partner, M/s S and S Stone Crusher, Chhota Bazar, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Akyanjik Stone Quarry in an area of 3.880 ha. (Stone – 49,800 cum per year and M-Sand 10,200 cum per year) (Khasra No. 59), Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [534941] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिदू इंवायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का	Shri Sachin Patni, Partner, M/s S AND S STONE CRUSHER, Chhota
नाम व पता	Bazar, unhel, Tehsil -Nagda, District-Ujjain (M.P.)
·	3 2
	59 (सरकारी भूमि) 3.88 hectare.
(सरकारी/निजी)	
स्थल	ग्राम आक्यानजिक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक
	दिनांक 1346 के द्वारा 30/05/2023 वर्ष के लिए स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
Crusher Status	Outside the lease area
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना
की स्थिति	सम्मति (सीटीई) Outward No:22003 दिनांक 06/06/2025 की वैधता grants
	NOC/Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at 59, Akya Najik, Village/City: Akya Najik, Tehsil: Nagda, Dist. Ujjain तक है।
टॉर	सेक की 718 वीं बैठक दिनांक 25/1/2024 को अनुशंसानुसार सिया के
	पत्र क्रमांक 3287 दिनांक 15/03/2024 के द्वारा पत्थर- 60000
	घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना
	प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिटटी) -
	49,800 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड – 10,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन
	क्षमता पत्थर (गिटटी) -49,800 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड - 10,200
	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक

अन्य खदानें	1602 दिनांक 03/7/23 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 09 अन्य खदानें
	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 41.08 हे. होता है, अतः प्रकरण
	बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
एसईजेडसे दूरी कोर/	1602 दिनांक 03/7/23 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र	1602 दिनांक 03/7/23 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं
की स्थिति	<b>考</b> I
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
	1602 दिनांक 03/7/23 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
	रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग /
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान
	एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत आक्यानजिक जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02
पंचायत की अनापति	दिनांक 14/4/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई
	आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों	Tree Existing -no
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की गूगल	दक्षिण दिशा- पक्का रोड-10 मी.
इमेज अनुसार वर्तमान	
स्थिति	पूर्व दिशा- राजमार्ग (पक्का) रोड-93 मी. एवं 186 मी.
प्रस्तावित खदान की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में	1602 दिनांक 03/7/23 के अनुसार उज्जैन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022-
स्थिति	23 की बनी है तत्पश्चात उक्त खनिपटटा की सैघांतिक प्रदान की गई है।
	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र से एक राजमार्ग (पक्का) रोड-93 मी. एवं 186 मी. की दूरी पर है अतः 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है एवं दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड-10 मी. दूरी पर है जो कि परिवहन मार्ग के रूप में उपयोग में आता है। इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि चूँकि प्रकरण ब्लास्टिंग प्रस्तावित है एवं रोड की कनेक्टिविटी आबादी क्षेत्र से है अतः दिक्षिण दिशा में एक पक्का रोड-10 मी. दूरी परिवहन मार्ग के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड-10 मी. दूरी पर परिवहन मार्ग के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नम्बर 09-14 टॉर कमांक 4 6 7, 9,12,13,17, 23 एवं 28 रिपोर्ट में टॉर की जनरल कंडीशन के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक 1,2 3,6,22,23,25 के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें। ईआईए रिपोर्ट में टॉर अनुसार पेस्टीसाईड का विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के पेज नम्बर,54 table 3-6, page,59 table 3-6-5, page 73 table 3-18, page78 table 3-22, page 94 table 3-11 एवं annexure 3.2 में दी गई जानकारी को संशोधित कर प्रस्तुत करें । ईआईए रिपोर्ट में annexure 3.3 संलग्न नहीं है।
- सिमिति के सुझाये अनुसार सीईआर योजना प्रस्तुत करें।

- 9. Case No 9392/2022 M/s Raj Minerals, Prop. Smt. Ranju Goyal W/o Shri Pradeep Kumar Goyal, Ward No. 9, Dist. Shahdol, MP, Prior Environment Clearance for Laterite, Ochre & White Clay Mine area is 7.768 hectare., (Production- Laterite: 10,080 Ton, or Ochre: 50,200 Ton (Max) and White Clay: 5,580 Ton (Max) ) Village- Majhauli Tikradudhi, Tehsil Pusprajgarh, District- Anuppur (Madhya Pradesh) [532019] (EIA)
  - Earlier this case was discussed in 605<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 10/11/2022 wherein PP have obtained amendment TOR- for Laterite: 10,080 TPA, Ochre: 50,220 TPA, White Clay: 5,580 TPA.

This is case of Laterite, Ochre & White Clay Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 579/2, 279/3, 280, 282), Village - Majhauli - Tikradudhi, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP) 7.768 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The details which are submitted by PP on Parivesh Portal are as given below:

SN	Information Required	Details	
1.	Project	SIA/MP/MIN/532019/2025.	
2.	Project Name	RANJU GOEL, Ward No.9 , Shahdol, District- Shahdol (M.P.). 484001, VILLAGE- MAJHAULI - TIKRADUDHI, TEHSIL - PUSPRAJGARH, DISTRICT- ANUPPUR (MADHYA PRADESH) KHASRA NO. 50,51/1,51/2,51/3,279/1,279/2, 279/3,280,282 AREA- 7.768 HECTARE (PVT.LAND) Product: OCHRE / WHITE CLAY & LATERITE- 65880 TPA. (Ochre: 50,220 (Max) Ton/Annum White Clay: 5,580 (Max) Ton/ Annum Laterite: 10,080 Ton/Annum).	
3.	Previous ToR Status	M/s Raj Minerals, Prop. Smt. Ranju Goyal W/o Shri Pradeep Kumar Goyal, Ward No. 9, Dist. Shahdol, MP, Prior Environment Clearance for Laterite, Ochre & White Clay Mine in an area of 7.768 ha. (Laterite – 1,39,944 Tonne per annum, Ochre – 11,900 Tonne per annum, White Clay – 5,100 Tonne per annum) (Khasra No. 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 579/2, 279/3, 280, 282), Village - Majhauli - Tikradudhi, Tehsil - Pushprajgarh, Dist Anuppur (MP)	
4.	ToR letter details	ToR Praposal No. SIA/MP/MIN/458083/2024.  MPSEIAA letter No. 2289 /MPSEIAA/2022 dated 12/12/2022.  ToR Valid up to 09/11/2026.	
5.	Public Hearing details	Public Hearing Date: 24/08/2024.	
6.	Description of Project	The proposed Laterite, Ochre & White Clay Mine area is 7.768 hectare. Laterite, Ochre & White Clay mining capacity shall be Laterite, Ochre & White Clay proposed excavation is to be Laterite: 10,080 Ton, or Ochre: 50,200 Ton (Max) and White Clay: 5,580 Ton (Max) production annually. mode of excavation will be opencast semi mechanized by using Rock Breaker. Lease area / Status of	

## STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

		land of lease area are PVT. Revenue land. Mining project does not	
		require any land acquisition nor raw material.	
7.	Capacity	65880 Ton/Annum (Ochre: 50,220 (Max) Ton/Annum White Clay: 5,580 (Max) Ton/Annum Laterite: 10,080 Ton/Annum).	
8.	LOI	Letter No. 6992 dated 18/05/2022.	
9.	Ekal Praman Patra	MO Letter No. 1483 dated 07/09/2022 No more mine in 500 mt.Pheripheri.  • Houses reported Approx 500 mt. – 10 No.  • Rainy Nallah – 100 mt.distance.  • PMY Road distance - 50 mt.	
10.	DFO NoC	Letter No. 3924 dated 06/09/2022.	
11.	DSR (Mine Status)	Letter No. 1833 dated 18/10/2022.	
12.	Reason of Amendment of TOR.	Production of change in mining plan and I have uploaded a new modified mining plan.  ( Reduce the Production Quantity under rule 42(D) & 42(J) Miner Mineral Rules 1996.	
13.	Gram Sabha NoC	Village- Gedi Aamba, Distt. – Shahdol (M.P.) dated 22/03/2021.	
14.	PFR	Provided	

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev, EIA Co-ordinator, M/s Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा से एक पक्का रोड 29 मी. की दूरी पर स्थित है अत: उनके द्वारा 71 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है एवं लीज क्षेत्र में 05 पेड हैं जो नहीं काटे जावेगें।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- पूर्व में टॉर के समय परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोयडा के प्रतिनिधि श्री संचित कुमार उपस्थित हुये थे परन्तु आज ईआई के समय प्रस्तुतीकरण पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev, EIA Co-ordinator, M/s Creative Enviro Services, Bhopal द्वारा किया जा रहा है अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोयडा की सहमति प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट चेप्टर 1.7to1.11 टॉर बिन्दु क्रमांक 1,6,8,12,16 17 ईआईए रिपोर्ट चेप्टर 1.6 टॉर की जनरल कंडीशन के अन्तर्गत दी गई जानकारी को संशोधित कर प्रस्तुत करें। ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 1.13, 1.15, 1.16, 1.20 में जन सुनवाई की जाना है उल्लेख है अतः टॉर बिन्दुओं की जानकारी संशोधित कर प्रस्तुत करें।

#### STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 12<sup>th</sup> August, 2025 819<sup>th</sup>MEETING

- ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 3.10 एवं 3.25 के अन्तर्ग तालिका 3.3 एवं 3.6 में वायु एवं noise
  गुणवत्ता मॉनिटरिंग उल्लेख है लीज क्षेत्र का नहीं किया गया उल्लेख है अतः संशोधित
  तालिका प्रस्तुत करें।
- ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 3.34 तालिका 3.12 में GW-1- GW-8 में भू-जल स्त्रोत के बारे में एवं सतही जल के परिणामों के inference प्रस्तुत करें। ईआईए रिपोर्ट चेप्टर 3.41 तालिका 3.16 दी गई जानकारी में लीज क्षेत्र का मृदा परीक्षण नहीं किया गया अत- जियोटेग फोटोग्राफ के साथ विश्लेषित आंकड़े प्रस्तुत करें।
- लीज क्षेत्र अधिस्चित क्षेत्र में आता है अतः पिरयोजना प्रस्तावक संबंधित ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापति/अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

10. Case No P2/1730/2025 Shri PALASH JAIN, owner, Laxmipura Ward Sagar, Tehsil - Sagar, District - Sagar, M.P. Prior Environment Clearance for M/s Jarara Stone Mine in an area of 4.00ha. (Stone – 10,098 cum per annum, M-Sand: - 20,502 cum per annum & Murram - 10,200 cum per annum) (Khasra No. 410/) Village- Jarara, Tehsil- Sagar, DistrictSagar (M.P.).[522347] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev FAE, M/s. AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	10 m 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक	श्री PALASH JAIN, owner, Laxmipura Ward Sagar, Tehsil -	
का नाम व पता	Sagar, District - Sagar, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	410 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 ha	
(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village- Jarara, Tehsil- Sagar, District- Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 758 दिनांक	
	10/06/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
ब्रेकर		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर	लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है ।	
की स्थिति		
बोर्ड द्वारा जारी	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर द्वारा Outward	
सम्मति की स्थिति	No:22805 दिनांक 08/06/2025 के जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता	
	दिनांक 24/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone – 10,098	
	cum per annum, M-Sand: - 20,502 cum per annum &	
	Murram - 10,200 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और	
	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone –	
	10,098 cum per annum, M-Sand: - 20,502 cum per	
	annum & Murram - 10,200 cum per annum है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
परिधि में अन्य	839 दिनांक 11/07/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान	
खदानें	संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अभ्यारण/ एसईजेड	839 दिनांक 11/07/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
से दूरी कोर/ जैव	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
250 मीटर की दूरी	839 दिनांक 11/07/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं
पर वन क्षेत्र की	·
स्थिति	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापत्ति	839 दिनांक 11/07/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग
	/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर /
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत जरारा जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-13 दिनांक
पंचायत की	27/01/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई आपति नहीं है
अनापत्ति	का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थत पर	Tree Existing - No
वृक्षों की वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावित स्थल की	उत्तर पूर्व दिशा-शेड 354 मी.
गूगल इमेज	पश्चिम दिशा- कच्चा रोड 57 मी. एवं दक्षिण पश्चिम दिशा- पक्का रोड 239
अनुसार वर्तमान	
स्थिति	
प्रस्तावित खदान	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 865 दिनांक
की जिला सर्वेक्षण	15/07/24 अनुसार उक्त उत्खनितपटटा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में
रिपोर्ट में स्थिति	सम्मिलित कर लिया जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22
	(प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में
	लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता
	के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया
	जाये ।
Ĺ	

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में मात्र झाडियाँ लगी हैं कोई भी पेड़ नहीं हैं एवं समीप में ही खदान क्षेत्र का साईट आफिस है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone 10,098 cum per annum, M-Sand: 20,502 cum per annum & Murram 10,200 cum per annum.
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों / कृषि भूमि / संरचना / पर्यावरण / जल निकायो / वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.92 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.73 लाख प्रति वर्ष ।
- 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,60,000 की राशी, से ग्राम जरारा के शासकीय माध्यमिक शाला मे 2 kw सोलर पैनल लगाया जायेगा।	1,60,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

- 11. Case No P2/865/24 IQUBAL SHAIKH, OWNER, Ward no 8 Purana thana road Tehsil & District Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.97 ha. (18,277 cum per annum) (Khasra No. 278/1, 278/2, 280, 281, 103/3, 103/4, 276) Village Gangerua, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.). (457876) (Referred Back- B2 DEIAA)
  - Earlier this case was discussed in 759<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 28/05/2024 wherein EC was recommended.
  - SEIAA RefferedBack this case in 878th SEIAA meeting Dated 13/03/2025.

#### 878th SEIAA meeting Dated 13/03/2025:-

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शतर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सिहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननन्सार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना दिनांक 13.04. 2017 की वैधता 12.04.2022 में समास हो गई है जबिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेत् आवेदन दिनांक 23.04.2024 को किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev, FAE, M/s. AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति को बताया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना का नवीनीकरण क्षेत्रीय कार्यालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, इन्दौर से दिनांक 04/02/2025 कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। समिति ने नवीन खनन योजना का अवलोकन करते हुये सेक की 759वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 को की गई पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया।

- 12. Case No. P2/920/25, Shri Ravindra Singh Chauhan S/O: Shri Noneraja Chauhan R/o: Ward No. 08, Musahid Mohalla Khaniyadhana, District- Shivpuri State: Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Khadela Flag Stone Quarry in an area of 4.00 ha. [Stone-4,772 m³/year], (Khasra No.39,43and 45 (Pvt. Land), Village- Khadela, Tehsil- Pichhore, District- Shivpuri (M.P.) [MIN/471238/2024] (DEIAA to SEIAA B-2 Referred back from SEIAA)
  - Earlier this case was discussed in 762<sup>nd</sup> SEAC meeting Dated 03/06/2024 wherein Guidance was sought from SEIAA.
  - SEIAA RefferedBack this case in 880<sup>th</sup> SEIAA meeting Dated 22/04/2025

#### 762<sup>nd</sup> SEAC meeting Dated 03/06/2024

यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके संबंध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28-09-2018 को डिआ शिवपुरी द्वारा जारी की गई थी जो कि दिनांक 13-09-2018 के बाद की स्वीकृति है, एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिआ प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गई है उन प्रकरणों के अंतर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिआ द्वारा दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गई है उनके अप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिआ से मार्गदर्शन चाहा गया।

#### 880<sup>th</sup> SEIAA meeting Dated 22/04/2025

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार MoEF&CC द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में DEIAA द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना था, चूँकि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किये जाने का लेख है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदान्सार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri Ravindra Chauhan, R/o-Musahib Mohalla Khaniyadhana District-Shivpuri, (M.P.) – 473990, Prior Environment Clearance for Khadela Flagstone Quarry with a Production capacity of4,772 Cubic Meters / Year	
/ संस्थान का नाम व पता	Flagstone, having a lease area of 4.00 Ha. at Khasr No. – 39, 43, 45, Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District -Shivpuri(M.P.). <b>B2.</b> ( <b>DEIAA</b> )SIA/MP/MIN/471238/2024.	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—39, एरिया— 4.00ha., निजी भूमि (सहमति प्राप्त) 43,45, भू—स्वामी श्री अच्छेलाल पुत्र श्री होतीलाल आदिवासी	
परियोजना स्थल	Village Khadela, Tehsil - Pichhore , District -Shivpuri(M.P.).	
Description of Project	It is a Flagstone quarry with a production capacity of 4,772 cubic meter per year flagstone having a lease area of 4.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Shivpuri at Khasra No. 39, 43, 45, Village Khadela, Tehsil - Pichhore, District -Shivpuri(M.P.). Now we are applying for fresh EC/Reappraisal in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
सैंधातिक सहमति / स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क0. 13642	
आदेश	दिनांक 24 / 08 / 2018	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
जल / वायु सम्मति	Date of consent issued - 30/12/2021, Valid up to 24-01-2025.	
Intimation ID	16611/18/432/2018/402713.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Not Applicable.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC issued DEIAA Shivpuri vide letter no. 2168 dated 28/09 /2018. Flagstone – 4,772 Cubic meters per year-	
उत्पादन क्षमता	• Flagstone – 4,772 Cubic meters per year.	
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	
परिधि में संचालित / स्वीकृत	प्रमाण-पत्र 1271 दिनांक 26 / 10 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि	
अन्य खदानों का विवरण।	में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र 1271 दिनांक 26 / 10 / 2023अनुसार 10 किलोमीटर की	
	परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है )	
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	
जानकारी	प्रमाण—पत्र 1172 दिनांक 28 / 12 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि	
	में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत –गढोईया, जिला –शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव कृ0. 01	
नगर परिषद्	दिनांक 23 / 11 / 2017 द्वारा अनापित्ति पत्र जारी किया गया है।	

प्रस्तावित स्थल की गूगल	दक्षिण दिशा— दक्षिण दिशा में 435 मीटर पर एक पक्का रोड
इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परिलक्षित हो रहा है
	पूर्व दिशा— पूर्व दिशा में 370 मीटर पर घर परिलक्षित हो रहे है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 20 के सरल
	कमांक – 08 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय सिमिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कि गयी थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः मूल्याङ्कन हेतु सिमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। सिमिति द्वारा ई.सी में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

Conditions	Completion status	
Plantation	a) Approx 40-50 nos of plants are planted at the ML area.	
	b) 20 nos of plants are planted at the Muktidham premises.	
	c) 20 nos of plants are planted at the village primary school	
	Khadela	
	d) About 100 nos of plants are distributed to the villagers	
Wire fencing work	Lease area is 30% covered with wire fencing.	
Garland drain status	Garland drain is constructed partially in the Western periphery of the	
	ML area.	
Detail of plants distribution.	Approx 100 nos of plants will be distributed to the nearby villagers	
Verifiable proof of CER	Different activities for the village welfare is carried out which are:	
	1) Drinking water has bee provided to the villagers through	
	tanker water	
	2) Hand pump with borewell is installed ath evillage common	
	area for the villagers	
	3) Repairing of the village internal road by filling murrum &	
	Bajri.	
	However, several activities are carried out time to time for the	
	village welfare under the CSR activity. (Letter by panchayat dtd 29-	
	05-2024 & photos are provided during the presentation	
Proofs of above-mentioned activities/conditions are given at the time of presentation also same has		
been attached in the PPT.		

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खिनपट्टे क्षेत्र का आंशिक रूप से बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त बैरियर जोन परियोजना प्रस्तावक को लीज स्वीकृत दिनांक 24-08-2018 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है उक्त की पुष्टि हेतु गूगल इमेज के माध्यम से बैक डेट करके देखा गया जिसमे पाया गया कि स्वीकृत खदान क्षेत्र का बैरियर जोन 2018 से पहले का खुदा हुआ है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया की उक्त प्रकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा शिवपुरी द्वारा नवीन एकल प्रमाण पत्र 799 दिनांक 09-06-2025 प्रस्तुत किया गया एवं डिया EC की शेष शर्तों का व्यय प्रस्तिवत EMP बजट शीट में जोड़ा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर- 4772 घनमीटर/वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राषि रू. 14.17 लाख एवं रिक्ररिंग राषि रू. 1.78 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.00 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि			
	Repairing & whitewash of the village primary school Khadela and educational paintings on the wall of the same school along with covering of its open area and provision of door there.	60,000/-		
2.	Repairing of the shed of Mukti Dham of the village khadela	40,000/-		
	योग	1,00,000/-		

4 वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

- 13. Case No P2/866/24 Smt.ZAHIRA SHEKH, Owner, ward no 8 old thana Road Tehsil & District Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.65 ha. (16530 cum per annum) (Khasra No. 130 Change 217, 134 Change 222 ) Village- Banki, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.). (457979) (Referred back B2 DEIAA)
  - Earlier this case was discussed in 760<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 29/05/2024 wherein EC was Recommend.
  - SEIAA Reffered Back this case in 878th SEIAA meeting Dated 17/03/2025

## 878th SEIAA meeting Dated 17/03/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेत् अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननासार स्थिति पार्ड गर्ड :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना दिनांक 12.04. 2017 की वैधता 11.04.2022 में समाप्त हो गई है जबिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 06.05.2024 को किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार Smt. Swati Namdev, FAE, M/s. AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति को बताया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना का नवीनीकरण क्षेत्रीय कार्यालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, जबलपुर से दिनांक 18/06/2025 कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। समिति ने नवीन खनन योजना का अवलोकन करते हुये सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 को की गई पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया।

14. Case No P2/951/2024 Madhu Agarwal, Village: Bijpuri, Tehsil: Kotma, District: Anuppur (M.P) - 484224, Prior Environment Clearance for M/s Dongariya Khurd Mine, Gitty/ Boulder - 15,390 Cubic Meter per year. Total Lease Area - 2.124 Ha. Village - Dongariya, Tehsil - Kotma, District - Anuppur (M.P.). [468502] (Query Reply B2 DEIAA)

Earlier this case was discussed in 790<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 07/05/2025 wherein following query was issued:-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्रमांक 511 दिनांक 07/04/2025 अनुसार दिया से सिया में विचाराधीन प्रकरणों में क्लस्टर प्रमाण-पत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की है। संबंधी 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.619 है, इस प्रकार कुल रकबा 3.743 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पैसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पैसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 12/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Raheesh Prasad Patel, M/s. FECCM Consultancy Pvt Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जिसमें अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः संबंधित ग्राम सभा ग्राम पंचायत डोगरियाकंला, जनपद पंचायत, कोतमा, जिला अनूपपुर से पेसा संबंधी अनापति/अभिमत क्रमांक-2 दिनांक 09/05/2025 को प्राप्त कर ली गई है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 70% पूर्ण पायी गई । बाकी 30 प्रतिशत भी आगामी 01 माह की भीतर पूर्ण कर ली जावेगी ।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन एवं नो माइनिंग जोन में लगभग  40% प्रस्तावित 1300 पेड़ों मे से 520 पेड़ लगवा  दिए गए है, बाकी 780 पेड़ भी आगामी 01 माह  की भीतर पूर्ण कर ली जावेगी।		
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	खदान के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व दिशा मे लगभग 35% पूर्ण की गई है । आगामी 01 माह की भीतर पूर्ण कर ली जावेगी ।		
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये	द्वतीय (Second) बेंच में खनन कार्य किया जा रहा		
पिट्स में बैंचेस की स्थिति	है।		
पौधा रोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र एवं रोड के किनारों में लगभग 520+80 पेड़ लगाये गये एवं 150 पेड़ बांटे गये।		
प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं क्रेशर लीज एरिया में प्रस्तावित है।			

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता <u>15390 घनमीटर</u> / वर्ष
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतू ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में **केपीटल राशि रू. 15,48,300/— एवं रिकरिंग राशि रू. 2,28,000/—** प्रति वर्ष ।
- 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **2,1<u>0,000 / –</u> तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य** आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

कं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
1.	ग्राम डोंगरियाखुर्द के माध्यमिक विध्यालय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 kw के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया जाएगा ।	1,30,000

2.	माध्यमिक विध्यालय डोंगरियाखुर्द की रंग रोगन, मुख्य द्वार पर दीवार एवं ग्रील साथ ही बच्चों आवागमन हेतु गोल घुमावदार रेवोलविंग एंट्री गेट का कार्य पूर्ण किया जाएगा	80,000
	कुल	2,10,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम <u>2500 **वृक्षों** का वृ</u>क्षारोपण प्रस्तावित है। 15. Case No P2/913/2024 Shri DEVENDRA TRIPATHI, project proponent, House no. - B27, pilibhit road north city extension, Bareily,Izzat Nagar, Uttar Pradesh, 243122. Prior Environment Clearance for M/s Ghuman kala Quarry, Stone Mine in an area of 4.528 ha. (14, 994 cum per annum) (Khasra No. 47/4/2) Village Ghuman Tehsil Jawa District Rewa (M.P.). [470530] (Query Reply B2 DEIAA)

Earlier this case was discussed in 777<sup>th</sup> SEAC meeting Dated 11/03/2025 wherein following query was issued: -

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 12/08/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Raheesh Prasad Patel, from M/s. FECCM Consultancy Pvt Ltd. Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया एवं कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला-रीवा के पत्र क्रमांक 340 दिनांक 18/02/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नाधीन खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पूर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा अवगत कराया गया कि डिया की प्रमुख शर्तें जैसे - लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिग का कार्य लगभग 25 प्रतिशत कर लिया गया है, वृक्षारोपण के अन्तर्गत लगभग 150 पेड़ लगाये गये थे परन्तु वर्तमान में वे सूख चुके हैं, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण नहीं कराया गया है, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि कार्य नहीं किया गया है अत- संबंधित कार्यों के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 25% पूर्ण पायी गई । बाकी 75% प्रतिशत भी आगामी 6 माह की भीतर कर ली जावेगी ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की	बेरियर जोन एवं नो माइनिंग जोन में लगभग
वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर	05% प्रस्तावित 2700 पेड़ों मे से 135 पेड़

वृक्षारोपण	लगवा दिए गए है, बाकी 2565 पेड़ भी
	आगामी 6 माह के भीतर रोपित कीये जाएंगे।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक का निर्माण अभी 0.0 % किया गया है 6 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति	प्रथम बेंच में खनन कार्य किया गया है
पौधा रोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र एवं रोड के किनारों में लगभग 135 पेड़ लगाये गये एवं 162 पेड़ लगभग 06% बांटे गये।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अत- प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता।

16. Case No. P2/1725/25, Shri Akash Agrawal S/O: Shri Kailash Chandra Chandra R/O-Vill-Ghodadongri, Tehsil- Ghodadongri Dist-Betul (M.P.) State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Sadakwada Stone Quarry in an area of 1.230 ha. [Stone-14,633 m³/year], (Khasra No.65 (Pvt. Land), Village-Sadakwada, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.) Proposal no. 474309 (DEIAA to SEIAA B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 12/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मां, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तृत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का			
नाम व पता	Ghodadongri, District- Betul, M.P.		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	65 (निजी भूमि)	1.00 hectare.	
(सरकारी/निजी)			
स्थल	ग्राम सडकवाडा, तहसील घोडाडोंगरी, जिला	बैत्ल (M.P.).	
ਕੀਤ	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिल	। बैतूल के पत्र क्रमांक 1051	
स्वीकृति/नवीनीकरण	दिनांक 27/5/2019 के द्वारा 10 वर्ष के वि	त्रेए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।		
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण		
लीज क्षेत्र में क्रेशर की	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10	अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर	
स्थिति	प्रस्तावित नही है।		
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी		
की स्थिति	संचालन सम्मति (सीटीओ) Outward No. 17103 dated: 06/6/2024 की		
	वैधता दिनांक 22/07/2029 तक है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उ	उत्पादन क्षमता पत्थर-7350	
	घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है	और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थरः	-7350 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	। बैतूल के पत्र क्रमांक 1826	
अन्य खदानें	दिनांक 11/11/2024 के अनुसार 500 र्म	ोटर की परिधि में एक खदानें	
	संचालित/स्वीकृत है, (500 मीटर की परि	धि में 01 उत्खिन पटटा खनिज	
	पत्थर (क्ेशर) जिसका रकबा 1.165 हे	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	रकबा 2.165 हे. है। खदान की पश्चिमी	दिशा में पूर्व स्वीकृत अस्थाई	
	अनुजा खदान का एक गढडा स्थित है रि	जेसकी अवधि समाप्त हो चुकी	

01	Oth	1	EET	LIN	T
ΧI	9111	VI	$\mathbf{K}_{i}^{*}\mathbf{K}_{j}^{*}$		( -

	है) अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1826		
एसईजेडसे दूरी कोर/	दिनांक 11/11/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल		
जैव विविधता बफर	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1826		
मीटर की दूरी पर वन	दिनांक 11/11/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र		
क्षेत्र की स्थिति	नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत महेन्द्रवाडी जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03		
पंचायत की अनापति	दिनांक 25/4/2028 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु कोई		
	आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।		
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Env. Submitted that- Tree existing- Yes Tree Felling – 05 Additional plantation -50		
प्रस्तावि स्थल की गूगल	पश्चीम दिशा-		
इमेज अनुसार वर्तमान	उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में लगभग 60 मीटर पर पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण		
स्थिति	सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार रोड से 100 मीटर तक कोई खनन		
	कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खाना कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया		
	जावेगा		
	दक्षिण दिशा-		
	&उत्खिनपट्टे के दक्षिण दिशा में 57 मीटर एवं 73 मीटर की दूरी		
	पर खदान के साइट ऑफिस स्थित है ।		
प्रस्तावि खदान की जिला	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं19 के सरल क्रमांक-21		
	पर दर्ज है।		

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कि गयी थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनः मूल्याङ्कन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है :

Conditions	Completion status
Plantation	<ul><li>a) Approx 50 nos of plants are planted at the ML area.</li><li>b) 80 nos of plants are planted the southern side of the ML area near site office.</li></ul>
Wire fencing work	Lease area is 30% covered with wire fencing.
Garland drain status	Garland drain is constructed partially in the southern periphery of the ML area.

**OF** 

81	9th	<b>Æ</b> E	TI	NG
$\mathbf{O}\mathbf{I}$				

Detail of plants distribution.	Approx 100 nos of plants will be distributed to the nearby villagers	
Verifiable proof of CER	Different activities for the village welfare is carried out which are:	
	4) Stationary items are districtuted to the children of govt	
	middle school village mahendrawadi.	
	5) Repairing & whitewash of the village community hall	
	6) Levelling of the village goshala premises through filling of	
	murrum.	
	7) Whitewash of the village Gram panchayat bhavan Mahendra	
	wadi	
	8) Contribution in the difference social activities in the village	
	(Letter by panchayat & photos are provided during the presentation	
Proofs of above-mentioned activities/conditions are given at the time of presentation also same has		
been attached in the DDT	-	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र का आंशिक रूप से बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है । इसके अतिरिक्त डिया EC की शेष शर्तों का व्यय प्रस्तवित EMP बजट शीट में जोडा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्त्तीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 7350 घनमीटर/वर्ष। 2.परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है। 3.परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेत् ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
- 4- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.96 लाख एवं रिक्ररिंग राषि रू. 2.17 लाख प्रति वर्ष।
- 5- सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.20 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये।

	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village Govt. primary school mahendrawadi (excluding subsidy)	90,000/-	
2.	Whitewash of its building & distribution of science related educational tools there.	30,000/-	
	योग	1,20,000/-	

6-वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र —

Case No 10919/2023 Shri Shubam Bansal, Partner, M/s Shri Girraj Ji Stone Crusher, R/o Gautam Vihar Colony, Circuit House Road, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for M/s Parichha Kirar Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (37572 cum per year) (Khasra No. 1104), VillageParichchha Kirar, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) [519560] [DEIAA] Reffered Back (EIA).

प्रकरण में समिति की पूर्व की 813वीं दिनांक 22/07/2025 को पूर्व पयार्वरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुशंसा में त्रुटिवश खदान बी-2 श्रेणी एवं पर्यावरणीय सलाहकार का नाम Shri Shishupal Verma, M/s Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P) अंकित हो गया के स्थान पर खदान बी-1 श्रेणी एवं पर्यावरणीय सलाहकार का नाम Shri Ram Raghav M/s Green Circle INC, Vadodara, Gujrat पढा जावे, शेष अन्य अनुशंसा एवं शर्तो यथावत रहेंगी।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

#### Annexure- 'A'

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

#### 39. कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

#### क्षितपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खिनज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किण्डका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमित धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमित धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमित के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Minable Potential of sand mine.
  - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be

distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- 40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयाविध में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

#### Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 41. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 42. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 43. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 44. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 45. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 46. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 47. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 48. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 49. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 50. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 51. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 52. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 53. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 54. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 55. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 56. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 57. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 58. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 59. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 60. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 61. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

- 62. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 63. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 64. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 65. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 66. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 67. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 68. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 69. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - 1. Plantation and CER activities.
- 70. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 71. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 72. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 73. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 74. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 75. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 76. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 77. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 78. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

#### 79. कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।

- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमित नहीं दी जा सकेगी।
- खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मित प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 80. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

#### क्षितपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किण्डका 04
   में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमित धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमित धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमित के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 28. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 29. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 30. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 31. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 32. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 33. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 34. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 35. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 37. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 38. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

- 39. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 40. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 41. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 42. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 43. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 44. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 45. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 46. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 47. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 48. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 49. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 50. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 51. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 52. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 53. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 54. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 41. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 42. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - I. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 43. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - ix. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - x. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - xi. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - xii. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

- xiii. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
- xiv. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- xv. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- xvi. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 44. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 45. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 46. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 47. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 48. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 49. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 50. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 51. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 52. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- 53. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयाविध में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।